रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102023-249610 CG-DL-E-21102023-249610

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

No. 4423]

विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4597(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1472, दिनांक 26 अप्रैल, 2002, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति करती है, अर्थात :-

I. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ढ) के अधीन नियुक्त:-

(ক)	विद्युत मंत्री	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
(ग)	सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
(घ)	सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
(ड.)	सचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;

6692 GI/2023 (1)

_			
	(च)	सचिव, भारत सरकार, परमाणु विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ন্ত্র)	सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ন্তক)	सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ন্তুख)	सचिव, भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(छग)	सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ন্ত্ৰঘ)	सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ন্তৱ.)	सचिव, भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(छच)	भारत सरकार के सचिव, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई	पदेन सदस्य;
		दिल्ली	
	(छछ)	रेलवे बोर्ड के सदस्य (इनचार्ज ऑफ एनर्जी), रेल मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ज)	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(झ)	महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ञ)	पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक	पदेन सदस्य;
	(군)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट	पदेन सदस्य;
		लिमिटेड, रांची।	
	(ठ)	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	पदेन सदस्य;
	(ड)	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, आपूर्ति विभाग, वाणिज्य और उद्योग	पदेन सदस्य;
		मंत्रालय, कोलकाता।	
	(डक)	महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन	पदेन सदस्य;
		विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।	
	(ৱ)	प्रबंध निदेशक, भारतीय नवीकरणीय विद्युत विकास एजेंसी लिमिटेड, नई	पदेन सदस्य;
	II.	दिल्ली। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उपधारा (2) अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त:-	के खंड (ण) के
	(ण)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच विद्युत क्षेत्रों से पांच राज्यों	ं के ऊर्जा या
	()	विद्युत विभाग से एक-एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के प्रधान सचिव के पद	से कम नहीं
		होगा।	
	(i)	प्रधान सचिव (ऊर्जा), बिहार	पदेन सदस्य;
	(ii)	प्रधान सचिव (ऊर्जा), गुजरात	पदेन सदस्य;
	(iii)	प्रधान सचिव (विद्युत), पंजाब	पदेन सदस्य;
	(iv)	प्रधान सचिव (विद्युत), असम	पदेन सदस्य;
	(v)	प्रधान सचिव (विद्युत), केरल	पदेन सदस्य;

- III. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (त) के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियक्त: -
- (त) ऐसे व्यक्तियों, जो केंद्रीय सरकार की राय में विशेषज्ञ हैं या उद्योग, उपस्कर और साधित्र विनिर्माणकर्ता, वास्तुकार, संस्थानों और उपभोगताओं का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हैं, में से सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले ऐसी संख्या में व्यक्ति, जो सात से अधिक नहीं हो. जैसा विहित किया जाए।
- (i) अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड उद्योग का प्रतिनिधित्व सदस्य; इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), नई दिल्ली
- (ii) महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ उद्योग का प्रतिनिधित्व सदस्य; (सीआईआई), नई दिल्ली
- (iii) अध्यक्ष, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लायंस उपस्कर और साधित्र सदस्य; निर्माता संघ (सीईएएमए), नोएडा, उत्तर प्रदेश
- (iv) मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, केंद्रीय भवन वास्तुकारों का प्रतिनिधित्व सदस्य; अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रूड़की, उत्तराखंड
- (v) सीओओ, उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व सदस्य; संगठन (वीओआईसीई), नई दिल्ली
- (vi) महानिदेशक, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान संस्थानों का प्रतिनिधित्व सदस्य; (टीईआरआई), नई दिल्ली
- (vii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थानों का प्रतिनिधित्व सदस्य; (आईआईटी), दिल्ली
- IV. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (थ) के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त: -
 - (খ) शासी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले व्यक्ति जिनकी संख्या दो से अधिक न हो।
 - (i) सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली पदेन सदस्य;
 - (ii) सिचव, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली पदेन सदस्य;
- V. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (द) के अधीन नियुक्त:-
 - (द) ब्यूरो के महानिदेशक।

पदेन सदस्य सचिव

[फा. सं. 13/13/2021-ईसी.] अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2023

S.O. 4597(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Power, vide number S.O. 1472, dated the 26th April, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following Members to the Governing Council of the Bureau of Energy Efficiency, namely: -

I. Appointed under clauses (a) to (n) of sub-section (2) of section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001): -

(a)	Minister of Power	<i>ex officio</i> Chairperson;
(b)	Secretary to the Government of India, Ministry of Power, New Delhi	ex officio member;
(c)	Secretary to the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi	ex officio member;
(d)	Secretary to the Government of India, Ministry of Coal, New Delhi	ex officio member;
(e)	Secretary to the Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, New Delhi	ex officio member;
(f)	Secretary to the Government of India, Ministry of Atomic Energy, New Delhi	ex officio member;
(g)	Secretary to the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, New Delhi	ex officio member;
(ga)	Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	ex officio member;
(gb)	Secretary to the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi	ex officio member;
(gc)	Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi	ex officio member;
(gd)	Secretary to the Government of India, Ministry of Steel, New Delhi	ex officio member;
(ge)	Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation, New Delhi	ex officio member;
(gf)	Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, New Delhi	ex officio member;
(gg)	Member of the Railway Board (in-charge of Energy), Ministry of Railways, New Delhi	ex officio member;
(h)	Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi	ex officio member;
(i)	Director-General, Central Power Research Institute, New Delhi	ex officio member;
(j)	Executive Director of the Petroleum Conservation Research Association, New Delhi	ex officio member;
(k)	Chairman-Cum-Managing Director, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.	ex officio member;
(1)	Director-General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	ex officio member;
(m)	Director-General, National Test House, Department of Supply, Ministry of Commerce and Industry, Kolkata.	ex officio member;
(ma)	Director-General, National Productivity Council, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	ex officio member;
(n)	Managing Director, Indian Renewable Energy Development Agency Limited, New Delhi.	ex officio member;

II. Appointed under clause (o) of sub-section (2) of section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) for a period of three years from the date they enter upon the office:-

(o) One official each from the energy or power department of the five States from the five power regions, not below the rank of Principal Secretary to the State Government, to be appointed by the Central Government.

(i)Principal Secretary (Energy), Biharex officio member;(ii)Principal Secretary (Energy), Gujaratex officio member;(iii)Principal Secretary (Power), Punjabex officio member;(iv)Principal Secretary (Power), Assamex officio member;(v)Principal Secretary (Power), Keralaex officio member;

- III. Appointed under clause (q) of sub-section (2) of the section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) for a period of three years from the date they enter upon the office: -
- (p) Such number of persons, not exceeding seven, as may be prescribed, to be appointed as members, from amongst persons who, in the opinion of the Central Government, are experts or capable of representing industry, equipment and appliance manufacturers, architects, institutes and consumers.

(i)	President, Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), New	Representing Industry	Member;
	Delhi		
(ii)	Director General, Confederation of Indian Industry (CII), New Delhi.	Representing Industry	Member;
(iii)	President, Consumer Electronics and	Representing	Member;
	Appliance Manufacturers Association	Equipment and	
	(CEAMA), Noida, Uttar Pradesh	Appliance	
		Manufacturers	
(iv)	Chief Scientist and Head, Central Building	Representing	Member;
	Research Institute (CBRI), Roorkee,	Architects	
	Uttarakhand		
(v)	COO, Voluntary Organization in Interest of	Representing	Members;
	Consumer Education (VOICE), New Delhi	Consumers	
(vi)	Director General, The Energy and Resources	Representing Institutes	Members;
	Institute (TERI), New Delhi	1 0	
(vii)	Director, Indian Institute of Technology (IIT), Delhi.	Representing Institutes	Members;

- IV. Appointed under clause (q) of sub-section (2) of the section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) for a period of three years from the date they enter upon the office: -
- (q) Such number of persons, not exceeding two as may be nominated by the Governing Council as members.
- (i) Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, New Delhi ex officio Member;
- (ii) Secretary, Ministry of Heavy Industries, New Delhi ex officio Member;
- V. Appointed under clause (r) of sub-section (2) of section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001):-
- (r) Director-General of Bureau. *ex officio* Member-Secretary

[F. No. 13/13/2021-EC] AJAY TEWARI, Addl. Secy.